

राजस्थान सरकार
गृह (ग्रुप-10) विभाग

क्रमांक: प3(1)गृह-10/2018

जयपुर दिनांक 26.09.2018

आज्ञा

राजस्थान अभियोजन सेवा नियम 1978 के नियम-9 के अन्तर्गत वर्ष 2017-18 की सहायक निदेशक अभियोजन के रिक्त पदों को पदोन्नति से भरने हेतु गठित विभागीय पदोन्नति समिति की अनुशंषा पर राज्यपाल महोदय द्वारा निम्नलिखित अभियोजन अधिकारियों को सहायक निदेशक अभियोजन के अस्थाई पदों के विरुद्ध राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम 2017 पे मेट्रिस लेवल-15 में पदोन्नत किया जाता है।

क्र.स.	नाम अधिकारी	वर्ग	रिक्ति की दिनांक जिसके विरुद्ध चयन किया गया
1	श्री राज किशोर बृजवासी	अनुसूचित जाति	दिनांक 01.04.2017
2	श्री श्रीचन्द	अनुसूचित जाति	दिनांक 01.04.2017
3	श्री श्रवण कुमार	अनुसूचित जाति	दिनांक 01.04.2017
4	श्री पदम सिंह इन्दा	सामान्य	दिनांक 01.04.2017
5	श्री डायमण्ड सिंह	सामान्य	दिनांक 01.07.2017
6	श्री धर्मेन्द्र सिंह	सामान्य	दिनांक 01.08.2017
7	श्री दिलीवर सिंह	सामान्य	दिनांक 01.08.2017
8	श्री कमल कुमार शुक्ला	सामान्य	दिनांक 15.08.2017
9	श्री ललित शर्मा	सामान्य	दिनांक 01.10.2017
10	श्री कृष्ण कान्त शर्मा	सामान्य	दिनांक 01.03.2018

पदोन्नति पर वेतन निर्धारण के फलस्वरूप नकद लाभ पदोन्नत पद पर उपस्थिति की दिनांक से देय होगा। इनके पदस्थापन आदेश पृथक से जारी किये जायेंगे।

(रमेश कुमार शर्मा)

विशिष्ट शासन सचिव, गृह
एवं सयुक्त विधि परामर्शी

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख शासन सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय, राजस्थान।
2. प्रमुख शासन सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार।
3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
4. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह।
5. महानिदेशक पुलिस/भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
6. निदेशक अभियोजन, 10 अतिरिक्त प्रतियों सहित।
7. समस्त उप/सहायक निदेशक अभियोजन राजस्थान।
8. संबंधित अधिकारीगण।
9. निजी/रक्षित पत्रावली।

विशिष्ट शासन सचिव, गृह
एवं सयुक्त विधि परामर्शी